# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

**प्रकरण संख्या– 09/2023**

1. श्रीमति सरबती पत्नि रामचन्द्र जाति जाट साकिन पचारवाली तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– निगरानी कर्ता (प्रार्थीया)

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत डोबी पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़

–अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री मदनमोहन जोशी अधिकवक्ता प्रार्थी।

श्री रविन्द्र गोदरा अधिवक्ता अप्रार्थी।

**निर्णय** दिनांकः– 27.3.2024

श्रीमति सरबती पत्नि रामचन्द्र जाति जाट साकिन पचारवाली तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ विरूद्ध आदेश दिनांक 08.09.2023 प्र.स. 159/23 बअनवानी ग्राम पंचायत डोबी बनाम श्रीमति सरबती बअदालत ग्राम पंचायत डोबी तहसील भादरा अपास्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. यह कि निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 08.09.2023 प्र.स.159/2023 अनवानी ग्राम पंचायत डोबी बनाम श्रीमति सरबती बअदालत ग्राम पंचायत डोबी तहसील भादरा एक पक्षीय बिना किसी सुनवाई के विधि की अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

2. निगरानीकर्ता पचारवाली तहसील भादरा की स्थाई निवासी है। निगरानी के पति भारतीय सेना में नौकरी किया करते थे। जिसका देहान्त हो गया। उक्त रिहायशी मकान उनके पूर्वजो के समय गांव आबादी के समय गांव पचारवाली की पुरानी आबादी की भूमि में स्थित है। जिसमें निगरानीकर्ता अपने परिवार सहित आबाद है तथा उक्त मकान लाल लकीर के अन्दर रिहायशी मकान है मकान के आगे चबुतरा भी सैकड़ो वर्षो पुराना है। जो लाईन बन्दी में है। किसी प्रकार का कोई नया अतिक्रमण नही है तथा ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सार्वजनिक जगह होने का कोई प्रमाण नही दिया है। फिर भी मातहत अदालत ने, विरूद्ध सरबती अतिक्रमण मानकर गैर कानुनी ढंग से हटवाने के लिए निगरानीधीन आदेश पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

3. मातहत अदालत उपरोक्त् आदेश दिये जाने से पूर्व कोई कमेटी गठित नही की तथा ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव नही लिया गया है। केवल सरपंच पूर्ण कोरम के बिना निगरानीधीन आदेश अवैधानिक है। इसलिए निगरानीधीन आदेश अपास्तनीय है।

4. पूर्व में ग्राम पंचायत भागवा में ग्राम पचारवाली आता था। तब निगरानीधीन के पड़ौसी गुगनराम के आगे बने चबूतरे को ग्राम पंचायत ने आदेश दिये थे, जो पंचायत समिति भादरा में सन् 1978 अपास्त कर दिये थे। इसलिऐ गुगनराम के चबुतरे की व अन्य मकानो की लाईनबन्द में ही निगरानीकर्ता का मकान है अतिक्रमण के सम्बध में ग्राम पंचायत के पास कोई सबुत व साक्ष्य नहीं है। मातहत अदालत ने गैर कानूनी ढंग से निगरानीधन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

5. अप्रार्थी द्वारा निगरानीकर्ता के घर के आगे पूर्वी दिशा में 7 फीट 3 इन्च, 12 फीट 9 इन्च तथा 13 फुट 9 इच 7 फीट 3 इन्च इन्टो से चौकी बना कर अतिक्रमण करना बताया है परन्तु निगरानीकर्ता के घर के पट्टे शुदा भूमि का नाप वर्णित नही किया तथा मातहत अदालत ने कोई कमेटी गठित नही की ना ही कोई कमेटी ने मौका देखा, कमेटी से पूर्व कोई निगरानी कर्ता को नोटिस नही दिया गया। घर के नाम के बिना मातहत अदालत ने अतिक्रमण किया जाना कतई एक पक्षीय तौर से राजनैतिक वैमनस्य के कारण माना है, जो गैर कानूनी है तथा निगरानीधन आदेश अपास्तनीय है। निगरानीकर्ता के पुत्र के पक्ष में वाद भूमि का पट्टा बना हुआ है। उसको पक्षकार ना बनाते हुऐ सैनिक पत्नि निगरानीकर्ता को गैर कानुनी ढंग आदेश से दिया है। मातहत अदालत ने निगरानीकर्ता के पुत्र को सुनवाई का अवसर दिये बिना सैकड़ो वर्षो से निर्मित चबूतरा को गैर कानुनी ढंग से तुड़वाने पर आमादा है । अप्रार्थी को सरपच के चुनाव में वोट ना दिये जाने से खफा है। वाद भूमि बिना पट्टा धारक को पक्षकार बनाये बिना किसी सूचना दिये मातहत अदालत का निगरानीधीन आदेश गैर कानुनी है तथा अपास्तनीय है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन आदेश दिनांक 08.09.2023 प्र.स. 159/23 बअनवानी ग्राम पंचायत डोबी बनाम श्रीमति सरबती बअदालत ग्राम पंचायत डोबी तहसील भादरा अपास्त फरमाया जावे तथा निगरानी कर्ता के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री रविन्द्र गोदरा एडवोकेट उपस्थित हुये। प्रकरण के संबध में तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार भादर के पत्र क्रमांक राजस्व/24/410 दिनांक 07.03.2024 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती सरबती पत्नी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन पचारवाली के घर के आगे चौकी ग्राम पचारवाली की गैर मुमकीन आबादी क्षेत्र में आता है।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदन मोहन जोशी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निगरानी स्वीकार करनें बाबत निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी श्री रविन्द्र गोदरा ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पचारवाली की गैर मुमकीन आबादी क्षेत्र पर अतिक्रमण किया हुआ है। सार्वजनिक हित में अतिक्रमण को हटाया जाना उचित है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। कार्यालय ग्राम पंचायत डोभी पंचायत समिति भादरा के आदेश क्रमांक 159 दिनांक 08.09.2023 द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा आम चौक का निर्माण कार्य स्वीकृत किये जानें पर अतिक्रमण की गई जगह को अतिक्रमण मुक्त करवानें बाबत सूचना दी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करनें पर पाया कि कार्यालय ग्राम पंचायत डोभी पंचायत समिति भादरा के आदेश क्रमांक 117 दिनांक 21.08.2023 द्वारा ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 21.08.2023 के प्रस्ताव संख्या 01 की पालना में निर्माण हेतु स्वीकृत कार्य ग्राम पचारवाली के आम चौक में अतिक्रमण संबधित मौका निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा दिनांक 25.08.2023 को मौका निरीक्षण किया गया एंव अपनी रिपोर्ट में श्री श्रीमती सरबती पत्नी रामचन्द्र द्वारा घर के आगे पूर्व दिशा चौक में चौकी 7 फुट 3 इंच X 12 फुट 9 इंच और 13 फुट 9 इंच X 7 फुट 3 इंच ईंटो की चौकी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक प.स. भा./प. शा./2022–23/ 3904 दिनांक 14.09.2023 द्वारा कमेटी गठन किया जाकर मौका निरीक्षण करवाया गया। कमेटी द्वारा दि[illegible] 15[illegible]2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार– 1. ग्राम पचारवाली के आम चौक व ग[illegible] रणभीर सिंह पुत्र जीवणराम व सरबती पत्नी रामचन्द्र द्वारा चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसके अलावा 4 अन्य व्यक्तियों श्री पालाराम/अमीलाल मैडा, श्री संजय/गंगाराम, श्री वेदप्रकाश/मनीराम वर्मा, श्री रतनसिंह/श्री शिवचंद के द्वारा चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:13 IST
Reason: SelfAttested

2. उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस पूर्व में दिये गए है। जिसके तहत श्री पालाराम/अमीलाल मैडा, श्री संजय/गंगाराम, श्री वेदप्रकाश/मनीराम वर्मा, श्री रतनसिंह/श्री शिवचंद ने अतिक्रमण हटानें की सहमति दे दी एंव स्वंय ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। जबकि श्री रणभीर/जीवणराम व श्रीमती सरबती/रामचन्द्र कुलड़िया द्वारा अतिक्रमण हटानें से मना कर दिया। इनको ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटानें के लिए दो नोटिस जारी किये जा चुके हैं। श्री रणभीर/जीवणराम के द्वारा अपने घर के पश्चिम दिशा की गली में चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिससे आवागमन बाधित है। इन अतिक्रमियों ने साक्ष्य हेतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है तथा मौखिक रूप से बताया कि हमारे पास कोई पट्टा आदि दस्तावेज नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत डोभी द्वारा कमेटी की रिपोर्ट एंव विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट रूप से प्रार्थीया श्रीमती सरबती पत्नी रामचन्द्र द्वारा अतिक्रमण किया जाना प्रतीत होता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जनहित में अतिक्रमण हटवानें का आदेश विधि सम्मत एंव उचित है। अतः निगरानी स्वीकार योग्य न होनें से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.3.2024 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:13 IST
Reason: SelfAttested